04/6/26

पत्रावली पेश। निर्णय पृथक से उद्घो-
षित कर उक्त वाद वादी [illegible] विरुद्ध प्रतिवादी-
गण को [illegible] निर्णय शामिल [illegible] विरुद्ध [illegible]
[illegible] हो। [illegible] हो।
निर्णय उद्घोषित

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/18

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 59/2021 GCMS:-2021/18 **दायर दिनांक : 03.03.2021**

छिन्दाराम पुत्र लेखराज जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **दीनाराम पुत्र मुन्शीराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक, शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़ (आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में नाम तर्क किया गया)**

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण वादी की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 04.06.2026

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पैरोकार राज व अभिभाषकगण उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद—पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 18.11.2019 से खरीदशुदा भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में इन्तकाल सं. 299 वादी के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त बैयनामा का टंकण करते समय लिपिकीय त्रुटिवश वादी के पिता का नाम लेखराज के स्थान पर लेखराम अंकित हो गया है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित हो गया है। वादी के पिता लेखराज के स्वयं के नाम की संयुक्त खाते की भूमि वाके चक

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

5 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 22/19 के पत्थर नं. 95/339 के किला नं. 1 से 25 = 6.200 है0 भूमि में लेखराज ही दर्ज है। वादी के पिता का वास्तविक नाम लेखराज ही है। इसी प्रकार वादी के पिता के सम्पूर्ण दस्तावेजों यथा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में लेखराज ही दर्ज है। वादी ने अपने हक में निष्पादित उक्त पंजीबद्ध बैयनामा में दिनांक 04.03.2020 को जरिये संशोधन–पत्र अपने पिता का नाम लेखराम के स्थान पर लेखराज अंकित करवा लिया और तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 10.02.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जरिये शुद्धि पत्र राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम लेखराम के स्थान पर लेखराज अंकित किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना–पत्र एल.आर. शाखा में रिपोर्ट हेतु भेज दिया। वादी दिनांक 16.02.2021 को अपने प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में पूछने के लिए तहसील गया तो तहसीलदार ने शुद्धि करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 2 को संयुक्त खाता की भूमि में सहकाश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है, इनसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। वादी के पिता के नाम में लेखराम के स्थान पर लेखराज की घोषणा करते हुए उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम लेखराम के स्थान पर लेखराज अंकित करने हेतु तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेश दिये जाने का निवेदन किया। वाद के साथ चक 2 एम.एन. डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 39/17 व चक 5 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 22/19 की प्रमाणित प्रतियां, पंजीबद्ध बैयनामा बन्तोबाई बहक छिन्दाराम, पंजीबद्ध दस्तावेज संशोधन–पत्र, लेखराज का मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड की चित्रप्रतियां पेश कीं।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 25.02.2022 को प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 3 का इस वाद–पत्र में कोई उचित/अनुचित प्रभाव नहीं है व ना ही भविष्य में पड़ने

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाला है एवं इनके विरुद्ध कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है, इसलिए वाद में प्रतिवादी सं. 3 का नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार कर वाद में प्रतिवादी सं. 3 का नाम तर्क कर लाल स्याही से अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। जवाब स्टेट प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया व साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादी ने उपस्थित होकर शपथ–पत्र पर बयान साक्ष्य वादी PW-1 प्रस्तुत किये, जिस पर जिरह शून्य रही तथा फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य बैयनामा दिनांक 18.11.2019 बन्तोबाई बहक छिन्दाराम, दस्तावेज संशोधन–पत्र दिनांक 04.03.2020 बन्तोबाई बहक छिन्दाराम की प्रमाणित प्रतियां, लेखराज का मूल आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा–2006 की अंकतालिका, मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किये और साक्ष्यों पर प्रदर्श अंकित करवाये। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता, इसलिये साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 39/17 व चक 5 एफ.डी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 22/19, पंजीबद्ध बैयनामा बन्तोबाई बहक छिन्दाराम, पंजीबद्ध दस्तावेज संशोधन–पत्र की प्रमाणित प्रतियों, लेखराज के मूल आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा–2006 की अंकतालिका, मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वादी ने वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 18.11.2019 को अंकित खातेदार बन्तोबाई पुत्री जगतार सिंह से खरीद की थी, जिसका इन्तकाल सं. 299 राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में वादी के नाम दर्ज हो गया, जिसमें वादी के पिता का नाम लेखराम अंकित कर दिया गया। वादी को पता लगा कि उक्त बैयनामा का टंकण करते समय लिपिकीय त्रुटिवश वादी के पिता का नाम लेखराज के स्थान पर लेखराम

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अंकित हो गया है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित हो गया है। वादी ने उक्त पंजीबद्ध बैयनामा में अपने पिता के नाम में लेखराम के स्थान पर लेखराज की शुद्धि हेतु दिनांक 04.03.2020 संशोधन–पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा लिया, लेकिन तहसीलदार सूरतगढ़ ने जरिये संशोधन–पत्र राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में पिता का नाम गलत नाम अंकित होने के कारण वादी अनेकों सुविधाओं से वंचित हो रहा है, इसलिए को वादी के नाम अंकित उक्त चक 2 एम.एन.डब्ल्यू. एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' को खातेदार घोषित करते हुए, राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' अंकित करने हेतु तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेश दिये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपभ पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने पर पाया कि वादी ने खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 18.11.2019 को खरीद की थी, जिसका इन्तकाल सं. 299 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है, जिसमें वादी के पिता का नाम लेखराम अंकित है। वादी ने अपने पिता का सही नाम लेखराज बताते हुए बैयनामा में अंकित पिता के नाम में शुद्धि हेतु दिनांक 04.03.2020 को संशोधन–पत्र पंजीबद्ध करवाया। वादी ने इसी अनुसार वादी के पिता के नाम में लेखराम के स्थान पर लेखराज की घोषणा करते हुए उक्त जमाबन्दी में अंकित अपने पिता का नाम लेखराम के स्थान पर लेखराज अंकित किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आदेश दिये जा चुके हैं एवं प्रतिवादी सं. 3 का नाम तर्क किया जा चुका है। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से वाद पूर्ण रूप से सन्देह से परे साबित हो रहा है व वाद स्वीकृति से राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर जैरवाद वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष अंकन यथावत रहेंगे। यदि भूमि छिन्दाराम पुत्र लेखराम के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन छिन्दाराम पुत्र लेखराज के नाम अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व छिन्दाराम पुत्र लेखराज का रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 04.06.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

छिन्दाराम पुत्र लेखराज जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **दीनाराम पुत्र मुन्शीराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक, शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़ (आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में नाम तर्क किया गया)**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 59 वर्ष 2021 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादी श्री राम प्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर जैरवाद वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. 39/17 के पत्थर नं. 97/334 (30) के किला नं. 4/1 में 0.164 है0, 7/2 में 0.202 है0 = 0.366 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के अंकित खातेदार 'छिन्दाराम पुत्र लेखराम' के स्थान पर 'छिन्दाराम पुत्र लेखराज' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष अंकन यथावत रहेंगे। यदि भूमि छिन्दाराम पुत्र लेखराम के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन छिन्दाराम पुत्र लेखराज के नाम अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व छिन्दाराम पुत्र लेखराज का रहेगा।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **05.06.2026** को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)